

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 530 सन 2022

अनवान :-

1. गगनदीप पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 केएनएन तहसील नोहर ।
वादी

बनाम

1. मेजरसिंह पुत्र बूटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16-17 केएनएन तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 13/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 81/70 की कुल 0.7590 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज बूटासिंह के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है प्रतिवादी संख्या 1 एव वादी के पिता के पास पंजाब एवं राजस्थान दोनो जगह भूमि थी वादी के पिता रामसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को पंजाब की भूमि एवं वादी के पिता रामसिंह को वाद भूमि प्राप्त हुई थी इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी के पिता रामसिंह का देहान्त हो चुका है अब वाद भूमि वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है जिसे पूर्वजों के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को बाहमी बटवारा के अनुसार वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि वादी के दादा एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बूटासिंह के देहान्त होने पर प्राप्त हुई है वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी के पिता जो प्रतिवादी संख्या 1 का भाई है मध्य परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 मुझे पंजाब की भूमि प्राप्त हुई थी तथा वादी के पिता रामसिंह को वाद भूमि प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे वाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
दिनांक 13/7/2022

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 81/70 की कुल 0.7590 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज बूटासिह के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो सगे भाई है प्रतिवादी संख्या 1 एव वादी के पिता के पास पंजाब एवं राजस्थान दोनो जगह भूमि थी वादी के पिता रामसिह एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को पंजाब की भूमि एवं वादी के पिता रामसिह को वाद भूमि प्राप्त हुई थी इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी के पिता रामसिह का देहान्त हो चुका है अब वाद भूमि वादी काश्त करता आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है जिसे पूर्वजों के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 81/70 की कुल 0.7590 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि भूमि वादी के दादा एव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बूटासिह के देहान्त होने पर प्राप्त हुई है वाद भूमि के सम्बन्ध में वादी के पिता जो प्रतिवादी संख्या 1 का भाई है मध्य परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 मुझे पंजाब की भूमि प्राप्त हुई थी तथा वादी के पिता रामसिह को वाद भूमि प्राप्त हुई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 81/70 की कुल 0.7590 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाबता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिवक्ता (राजस्व)
नाहरी (हनुमानगढ़) राजस्व)
नाहरी (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. गगनदीप पुत्र रामसिंह जाति जटसिख निवासी चक 16 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मेजरसिंह पुत्र बुटासिंह जाति जटसिख निवासी चक 16-17 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 530 सन 2022 निर्णय दिनांक-13/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 81/70 की कुल 0.7590 हैक्ठु भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)